

विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
12(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि देवीपाटन मण्डल में स्थित जनपदों में कितने दिव्यांगजन चिन्हित किये गये हैं?	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल के जनपदों में कुल 50,345 दिव्यांगजन चिन्हित किये गये हैं।
(ख) चिन्हित किये गये दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं?	चिन्हित दिव्यांगजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें यथा-दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना, दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, शल्य चिकित्सा अनुदान योजना व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा संबंधी योजनाओं के लिये निर्धारित पात्रता रखने पर दिव्यांगजन को उक्त योजनाओं/सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।
(ग) क्या 50 प्रतिशत से कम दिव्यांगजनों को उक्त सुविधा दी जा रही है?	जी हाँ।
(घ) यदि हाँ, तो उक्त के प्रमुख कारण सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उक्त योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक, आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। देवीपाटन मण्डल के गोण्डा जनपद में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित है, जिसमें 3 से 7 आयु वर्ग के विशेष श्रेणी (मानसिक मंदित, श्रवण बाधित व दृष्टिबाधित) बालक/बालिकाओं को प्री-प्राइमरी स्तर का शिक्षण/प्रशिक्षण विशेषीकृत अध्यापकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इन बालक/बालिकाओं को निःशुल्क आवागमन, मध्याह्न भोजन, यूनीफार्म, पाठ्य सामग्री की सुविधा प्रदान की जा रही है। विवरण निम्नवत् है:- • दिव्यांग भरण-पोषण (दिव्यांग पेंशन) अनुदान योजना:- (1) ऐसे निःशक्तजन जिनमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो, (2) उत्तर प्रदेश के निवासी हो, किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त न कर रहे हों, (3) गरीबी की रेखा की परिभाषा के अन्दर हो,

	(4) आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, प्रतिमाह रू0 1000/- प्रति लाभार्थी की दर से दिव्यांग पेंशन हेतु पात्र होते हैं। (5) योजना ऑनलाइन संचालित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना:- (1) कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता उत्पन्न हुई हो (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो, (2) मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हो, (3) उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, (4) किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन अनुदान सहायता प्राप्त न कर रहे हों, (5) बी0पी0एल0 आय-सीमा के अन्तर्गत हो, (6) किसी भी आयु वर्ग के हों, प्रतिमाह रू0 3000/- प्रति लाभार्थी की दर से कुष्ठावस्था पेंशन हेतु पात्र होते हैं। (7) योजना ऑनलाइन संचालित है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना:- (1) किसी भी आयु के निःशक्तजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, (2) न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता हो, (3) निःशक्तजन हेतु कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के लिये चिकित्साधिकारी द्वारा संस्तुति की गयी हो, (4) ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें समान प्रयोजन/ उपकरण के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय से पिछले 03 वर्षों के दौरान लाभान्वित न किया गया हो, (5) निःशक्तजन जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा के लिये निर्धारित वार्षिक आय-सीमा से अधिक न हो, रू0 10000/- तक के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु पात्र होते हैं। दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना:- (1) समस्त श्रेणी के दिव्यांग जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो,
--	---

	(2) जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय-सीमा के दो गुने से अधिक न हो, (3) आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, (4) दुकान निर्माण के लिये ₹0 20000/- (₹0 15000/- की धनराशि ऋण के रूप में 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से तथा ₹0 5000/- अनुदान), (5) दुकान संचालन के लिये ₹0 10000/- (₹0 7500/- की धनराशि ऋण के रूप में 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से तथा ₹0 2500/- अनुदान) का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होते हैं। (6) योजना ऑनलाइन संचालित है। • शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना:- (1) उक्त योजना के अन्तर्गत दम्पति भारत का नागरिक हो, (2) दम्पति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या कम से कम 05 वर्ष से उसका अधिवासी हो, (3) दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, (4) शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, (5) युवती की आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो, (6) दम्पति का विवाह समान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग से प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो, (7) दम्पति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी का न हो, पात्र होते हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में ₹0 15000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में ₹0 20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में ₹0 35000/- की धनराशि प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दी जाती है। (8) योजना ऑनलाइन संचालित है। • शल्य चिकित्सा अनुदान योजना:- (1) ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनका तथा जिनके
--	--

	अभिभावकों की वार्षिक आय ₹0 60000/- से अधिक न हो, (2) भारत वर्ष के नागरिक हो, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम 05 वर्ष से प्रदेश का अधिवासी हो, (3) किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, को ₹0 10000/- की सीमा तक शल्य चिकित्सा हेतु एवं श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी की सुविधा के लिये ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय बी0पी0एल0 श्रेणी की आय सीमा से दोगुनी हो, ₹0 6.00 लाख प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं। • <u>उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा:-</u> (1) ऐसे दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित हों और उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, (2) निगम द्वारा संचालित साधारण बसों में दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा बसों के अन्तिम गन्तव्य स्थल तक, चाहे वह प्रदेश की सीमा के अन्दर हो या प्रदेश के बाहर हो अनुमन्य है, (3) 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा बहु दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति हेतु एक सहयोगी को भी निःशुल्क बस यात्रा अनुमन्य है। • <u>बचपन डे केयर सेन्टर संचालन योजना:-</u> (1) बचपन डे केयर सेन्टर में शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 3 से 7 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनके पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दृष्टिबाधित/ श्रवणबाधित/ मानसिक मंदित/ मानसिक रूप से बीमार/ बौद्धिक अधिगमता से संबंधित 40 प्रतिशत की दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो, उनके अभिभावक की सहमति से बचपन डे केयर सेन्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (2) बचपन डे केयर सेन्टर में प्रवेश केवल अभिभावक/
--	---

	संरक्षक के अनुरोध पर दिया जायेगा। (3) प्रवेश दिये जाने का आधार सत्र प्रारम्भ होने पर “प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त” के सिद्धान्त पर लागू होगा। (4) संस्था में प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में प्रारम्भ होगी तथा शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। (5) प्रवेश के लिये आयु संबंधित वर्ष के 01 अप्रैल को 03 वर्ष से कम तथा 07 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
--	---

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।